POLITICAL SCIENCE Dep.
BA-2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

संविधान और संविधानवाद में अंतर

सामान्यतः संविधान और संविधानवाद को पर्यायवाची माना जाता है पर दोनों में काफी अंतर भी होते हैं, जो इस प्रकार है -

(1) संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है।

(2) संविधान प्रायः निर्मित होते हैं तो दूसरी ओर संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है।

(3) संविधान साधनयुक्त धारणा है जबकि संविधानवाद साध्ययुक्त धारणा है। प्रायः हर समाज का एक लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद है।

(4) संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है जबकि संविधानवाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग - अलग होता है।

(5) संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है जबकि संविधानवाद में आदर्शों का प्रतिपादन विचारों द्वारा होता है।

Scanned with CamScanner